

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

संगस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के जान से ही किया जावे व कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



गाम : बूलीवसिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ 268

दिनांक : 01/13

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22 मार्च, 2013 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार पातीरम शिवहरे महाविद्यालय, भिण्ड को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.एड., पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें एवं प्रतिबंध :-

1. एम.एड. हेतु 28(17) के अंतर्गत शिफ्टों की विद्युत्तिन तीन माह के भीतर करें अन्यथा अगले सत्र की संबद्धता पर विचार न किया जायें।
 2. शासी निकाय की बैठके नियमित रूप से आयोजित की जावें।
 3. रु. 25,000/- की मानक पुस्तकें क्रय की जावें।
 4. परिचय 27,28 का पालन सुनिश्चित किया जावें।
 5. शर्त (01) का पालन कर दो माह में विश्वविद्यालय को सूचित करें।
- नोट :- शर्त क्रमांक 01 का पालन महाविद्यालय द्वारा दिनांक 31 मई 2013 तक किया जावें। महाविद्यालय द्वारा उक्त आशय का शपथ पत्र दस्तावेजों सहित विश्वविद्यालय में जमा किया जावें।

आदेशानुसार
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, पातीरम शिवहरे महाविद्यालय, भिण्ड।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंवल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्षा क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)